सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश

1250 तुलसी नगर भोपाल

(Telephone- 0755-2556916, FAX-0755-2552665)

(E-mail address: dpswbpl@nic.in)

क्रमांक/सामा.सहा./02/2018/ 2034 भोपाल दिनांक 11-12-2018

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
   मध्यप्रदेश ।
2. समस्त आयुक्त नगर निगम
   मध्यप्रदेश ।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत मध्यप्रदश ।
4. समस्त संयुक्त/ उप संचालक सामाजिक न्याय
   एवं नि:शक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश ।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत मध्यप्रदेश ।
6. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी
   नगर पंचायत मध्यप्रदेश ।

विषय :- प्रदेश के समस्त पेंशन हितग्राहियों के भौतिक सत्यापन कराये जाने बावत्।

संदर्भ :- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्रालय का अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक/1175/पी.एस./एस.जे./2018 भोपाल दिनांक 5-11-2018

----0------

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन पेंशन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है व सिंगल क्लिक पेंशन वितरण योजना के अंतर्गत पेंशन हितग्राहियों को प्रतिमाह 1 तारीख तक राज्य स्तर से पेंशन का भुगतान हितग्राही के बचत खातें में किया जा रहा है।

2. राज्य स्तर से हितग्राहियों के खाते में पेंशन का भुगतान तो समय पर हो रहा है, किन्तु यह आवश्यक है कि समस्त पेंशनधारियों का वर्ष में कम से कम दो बार भौतिक सत्यापन कराया जाये, ताकि यह सुनिश्चित हो कि स्थानीय निकायों द्वारा पेंशन पोर्टल पर सत्यापित पात्र व्यक्तियों को ही पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

3. इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त पेंशनधारियों के खातों का शत-प्रतिशत आधार लिंक कराये जाने हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं।

4. अत: जिला स्तर पर आपके जिले के समस्त पेंशनधारियों की सूची समग्र पोर्टल से प्राप्त कर ग्राम पंचायत स्तर तथा नगरीय निकाय स्तर पर वर्ष में कम से कम दो बार भौतिक सत्यापन अनिवार्यत: कराया जावे, साथ ही "'पेंशन आपके द्वार" योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये यह आवश्यक है कि पेंशनधारियों के बैंक खातों को आधार से लिंक कराया जाये। यदि बैंक खाते लिंक नहीं है तो ग्राम पंचायत स्तर पर मिनी एटीएम या पॉश मशीन के माध्यम से उन पेंशनधारियों द्वारा पेंशन की राशि का निकाला जाना संभव नहीं है।

5. कृपया इस संबंध में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार एक विशेष अभियान चलाया जाए और एक माह की कालावधि में समस्त शेष पेंशनधारियों, जिनके बैंक खातों में पेंशन प्राप्त हो रही है, को अनिवार्यत: आधार से लिंक कराया जावे साथ ही समयसीमा में भौतिक सत्यापन भी सम्पन्न कराया जावे तथा पालन प्रतिवेदन इस संचालनालय को अधिकतम एक माह में प्रेषित किया जाये।

(**कृष्ण गोपाल तिवारी**)
संचालक
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./सा.सहा./02/2018/ 2040 भोपाल, दिनांक 11 /12/2018

प्रतिलिपी:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।

संचालक
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण
मध्यप्रदेश